



The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE Saturday, 21 Sep, 2024

Edition: International Table of Contents

Page 03	सुप्रीम कोर्ट ने रेवंत को 2015 के कैश-फॉर-वोट	
Syllabus : GS 2 : भारतीय राजनीति	मामले में हस्तक्षेप न करने को कहा	
Page 05 Syllabus : GS 3 : विज्ञान और प्रौद्योगिकी	स्वदेशी भारी जल रिएक्टर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई	
Page 11	समृद्ध समुदायों के बंद दरवाज़ों ने आधिकारिक	
Syllabus : GS 2 – शासन	डेटा को प्रभावित किया	
Page 13	लेबनान में विस्फोटक उपकरणों ने एक ऐसे राष्ट्र को	
Syllabus : प्रारंभिक तथ्य	सक्रिय कर दिया है जो वर्षों से तनाव में है	
समाचार में अभ्यास	अभ्यास AIKYA	
Page 06 : संपादकीय विश्लेषण:	भारत और पाकिस्तान को सिंधु जल संधि पर अपने	
Syllabus : GS 2 : अंतर्राष्ट्रीय संबंध	सख्त रुख को छोड़ने की ज़रूरत है	
TI'S ODO	ur quality-	





Daily News Analysis

Page 03: GS 2: Indian Polity - Judiciary

सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की देरी, विशेष रूप से कॉलेजियम द्वारा दोहराए गए नामों की अनदेखी पर चिंता जताई है।

- 🟓 इसने उच्च न्यायालयों में लंबे समय से रिक्तियों पर सवाल उठाया, जो न्यायिक दक्षता और स्वतंत्रता को प्रभावित करती हैं।
- 🔷 न्यायालय ने संवैधानिक प्रक्रियाओं को बनाए रखने के लिए समय पर नियुक्तियों की आवश्यकता पर जोर दिया।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उठाई गई चिंताएँ:

- 🔷 नियुक्तियों में देरी: सर्वोच्च न्यायालय ने कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित नामों पर सरकार की निष्क्रियता पर चिंता व्यक्त की, जिनमें से कुछ महीनों या वर्षों से लंबित हैं।
- न्यायिक स्वतंत्रता को कमजोर करना: न्यायालय ने जोर देकर कहा कि दोहराए गए नामों की अनदेखी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करती है, जैसा कि द्वितीय न्यायाधीश मामले में उल्लिखित है।
- 🍑 कॉलेजियम की स्थिति: सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कॉलेजियम को केवल "खोज समिति" के रूप में नहीं माना जा सकता है, जिसकी सिफारिशों को चनिंदा रूप से स्वीकार या अनदेखा किया जा सकता है।
- उच्च न्यायालय में लंबित रिक्तियाँ: कई उच्च न्यायालय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों के अधीन काम कर रहे हैं, जिसके बारे में न्यायालय ने कहा कि इससे न्याय प्रशासन प्रभावित हो रहा है।

संभावित नुकसान:

- 🟓 न्यायिक देरी: उच्च न्यायालयों में लंबे समय तक रिक्तियों के कारण मामलों की सुनवाई में देरी होती है, जिससे पहले से ही बोझिल न्यायपालिका पर बोझ बढ़ जाता है।
- 🏓 विश्वास का क्षरण: नियुक्तियों पर सरकार की निरंतर निष्क्रियता न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया में जनता के विश्वास को कम कर सकती है और न्यायिक स्वतंत्रता को कमजोर कर सकती है।
- प्रशासनिक अक्षमताः स्थायी मुख्य न्यायाधीशों की अनुपस्थिति उच्च न्यायालयों के कुशल कामकाज में बाधा डालती है।
- न्याय वितरण पर प्रभाव: रिक्तियों के कारण लंबित मामलों की संख्या बढ़ती है, जिससे न्यायालयों में न्याय वितरण धीमा हो जाता है।
- 🍑 कॉलेजियम प्राधिकरण में कमी: बार-बार दोहराए गए नामों की अनदेखी करने से कॉलेजियम का अधिकार कमजोर होता है, जो न्यायिक नियुक्तियों के लिए अधिकृत निकाय है।

आगे का रास्ता:

- 🟓 समयबद्ध प्रक्रिया: सरकार को कॉलेजियम की सिफारिशों को मंजूरी देने या उनका जवाब देने के लिए समयबद्ध प्रक्रिया का पालन करना चाहिए, ताकि समय पर न्यायिक नियुक्तियां सुनिश्चित हो सकें।
- पारदर्शी तंत्र: सरकार और सर्वोच्च न्यायालय के बीच स्पष्ट संचार और पारदर्शिता स्थापित करने से गतिरोध दूर हो सकता है।

SC asks Revanth not to interfere in 2015 cash-for-votes case

The Hindu Bureau

NEW DELHI

The Supreme Court on Friday directed Telangana Chief Minister A. Revanth Reddy not to interfere with the functioning of the prosecution in the 2015 cashfor-votes case. It also accepted an apology tendered by Mr. Revanth for his remarks on the court's order granting bail to Bharat Rashtra Samithi leader K. Kavitha in the Delhi excise policy case.

The top court passed the order while hearing a plea filed by BRS MLA Jagadish Reddy, represented by senior advocate Aryama Sundaram and advocate Rohini Musa, seeking a transfer of the case against Mr. Revanth, represented by senior advocates Mukul Rohatgi, Siddharth Luthra and advocate Sravan Kumar, to a State outside Telangana.

Mr. Sundaram had on a previous occasion contended that Mr. Revanth was directly in charge of the Anti-Corruption Bureau investigating the cashfor-votes case. The situa-

tion was so anomalous that the investigating officers had to report to him. However, the court had reasoned that the officers would still report to the Chief Minister even if the case was transferred outside the State.

On Friday, the court, to allay apprehensions, said the Chief Minister should not intervene in the functioning of the prosecution in the case. "In the event, in future, if the petitioners find that there is an interference by the respondent number two (Revanth Reddy) and if there is any foundational basis for the same, the court can always consider granting such a prayer," it said.

In 2015, Mr. Revanth, then with the TDP, was apprehended by the ACB while allegedly paying a ₹50 lakh bribe to Elvis Stephenson, a nominated MLA, for supporting TDP nominee Vem Narendar Reddy in the legislative council elections. Apart from Mr. Revanth, the ACB had arrested some others. All of them were later granted bail.





- मान लिया गया स्वीकृति: यदि सरकार निर्दिष्ट अविध (जैसे, छह सप्ताह) के भीतर किसी सिफारिश पर कार्रवाई करने में विफल रहती है, तो सिफारिश को स्वीकार कर लिया जाना चाहिए।
- ⇒ स्थायी मुख्य न्यायाधीश: सरकार को उच्च न्यायालयों में रिक्तियों को भरने को प्राथिमकता देनी चाहिए, विशेष रूप से कुशल न्यायिक प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए स्थायी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी चाहिए।







Page 05: GS 3: Science and Technology

राजस्थान के रावतभाटा में राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना (आरएपीपी) की इकाई 7 ने निर्माण से संचालन तक संक्रमण को चिह्नित करते हुए महत्वपूर्णता हासिल की।

 यह भारत में इस चरण तक पहुँचने वाला तीसरा स्वदेशी 700 मेगावाट दबावयुक्त भारी जल रिएक्टर (पीएचडब्ल्यूआर) है।

दबावयुक्त भारी जल रिएक्टर (पीएचडब्ल्यूआर):

- पिरभाषा: दबावयुक्त भारी जल रिएक्टर (पीएचडब्ल्यूआर) भारी जल (डी2ओ) को शीतलक और न्यूट्रॉन मॉडरेटर दोनों के रूप में उपयोग करता है।
- ईंधन का प्रकार: आमतौर पर ईंधन के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग किया जाता है, जो संवर्धन की आवश्यकता के बिना अधिक कुशल विखंडन प्रतिक्रियाओं की अनुमित देता है।
- स्थायित्वः पीएचडब्ल्यूआर थोरियम सिहत विभिन्न प्रकार के ईंधन का उपयोग कर सकते हैं, जो दीर्घकालिक ईंधन स्थिरता को बढ़ाते हैं।
- संचालन सिद्धांत: रिएक्टर भारी पानी को उबलने से रोकने के लिए उच्च दबाव बनाए रखता है, जिससे भाप जनरेटर को प्रभावी गर्मी हस्तांतरण सक्षम होता है।
- दक्षता: पीएचडब्ल्यूआर अपनी ईंधन दक्षता और ईंधन भरने के बीच लंबी अवधि तक काम करने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं।
- डिज़ाइन विशेषताएँ: इनका डिज़ाइन मज़बूत है जो सुरक्षा को बढ़ाता है, जिसमें रेडियोधर्मी पदार्थों के निकलने को रोकने के लिए कई अवरोध शामिल हैं।

परमाणु रिएक्टर की क्रिटिकलिटी क्या है?

- परमाणु रिएक्टर में क्रिटिकलिटी उस स्थिति को संदर्भित करती है जहाँ एक नियंत्रित विखंडन श्रृंखला प्रतिक्रिया बनी रहती है।
- यह तब होता है जब विखंडन प्रतिक्रियाओं से उत्पन्न न्यूट्रॉन की संख्या अवशोषण या रिसाव के माध्यम से खोए गए न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होती है।
- क्रिटिकलिटी पर, रिएक्टर एक स्थिर शक्ति स्तर पर संचालित होता है, जिससे कुशल ऊर्जा उत्पादन की अनुमित मिलती है।
- न्यूक्लियर रिएक्टर के चालू होने में क्रिटिकलिटी हासिल करना एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

Indigenous heavy water reactor attains criticality

The Hindu Bureau

Unit 7 of the Rajasthan Atomic Power Project at Rawatbhata in Chittorgarh district achieved criticality, or the start of controlled fission chain reaction, on Thursday night, according to the Nuclear Power Corporation of India Ltd.

The Atomic Energy Regulatory Board had earlier cleared the reactor to make the first approach to criticality. The event was recorded at 10.42 p.m.

RAPP-7 is the third reactor to go critical in a series of 16 indigenous pressurised heavy water reactors (PHWRs) of 700 MW each the national nuclear establishment is setting up.

The first two PHWRs to become critical before RAPP-7 were Units 3 and 4 of the Kakrapar Atomic Power Station in Gujarat, in 2020 and 2023, respectively.

"Criticality for the first time on the project timeline marks the completion of construction phase and commencement of the operation phase," NPCIL executive director (corporate communication & corporate planning) B.V.S. Sekhar said in a statement. "RAPP-7 is expected to start generation this year."





Daily News Analysis

विशेषता	दबावयुक्त भारी जल रिएक्टर (PHWR)	लाइट वाटर रिएक्टर (LWR)	उबलते पानी वाला रिएक्टर
			(BWR)
मॉडरेटर	भारी जल (D2O)	लाइट वाटर (H2O)	हल्का पानी (H2O)
ईंधन प्रकार	प्राकृतिक यूरेनियम	समृद्ध यूरेनियम	समृद्ध यूरेनियम
दबाव प्रणाली	उच्च दबाव, पानी को उबलने से रोकता है	कम दबाव, पानी कोर में उबलता है	कम दबाव, पानी सीधे कोर में
			उबलता है
शीतलन विधि	अलग भाप जनरेटर	कोर में प्रत्यक्ष शीतलन	रिएक्टर कोर से उत्पादित भाप का
			उपयोग शीतलन के लिए किया जाता
			ह
दक्षता	प्राकृतिक यूरेनियम के उपयोग के कारण उच्च	समृद्धि आवश्यकताओं के कारण कम	सरल डिजाइन के साथ मध्यम दक्षता
	ईंधन दक्षता	दक्षता	
सुरक्षा	कई अवरोधों के साथ मजबूत सुरक्षा डिजाइन	सक्रिय् सुरक्षा प्रणालियों की आवश्यकता	निष्क्रिय सुरक्षा प्रणालियों पर निर्भर
विशेषताएँ		होती है	करता है

GEOIAS It's about quality—



Page 11 : GS 2 – Governance

भारत का सांख्यिकी मंत्रालय सरकारी सर्वेक्षणों में भाग लेने से संपन्न परिवारों के बढ़ते इनकार को संबोधित कर रहा है, जिसके कारण डेटा में महत्वपूर्ण अंतर पैदा हो रहा है।

यह गैर-प्रतिक्रिया सामाजिक-आर्थिक प्रतिनिधित्व को प्रभावित करती है और प्रभावी नीति निर्माण को कमजोर करती है, क्योंकि
सटीक डेटा सुचित निर्णयों के लिए महत्वपूर्ण है।

Closed doors at affluent gated communities dent official data

Vikas Dhoot

NEW DELHI

India's official data enumerators who survey households across the country to assess ground realities such as household spends, education and employment levels, have literally hit a wall — with the affluent classes living in gated communities and rarefied urban enclaves increasingly refusing to respond to surveys.

Concerned about this "big data gap" that is skewing the representation of socio-economic groups in



official survey samples, and creating a distorted view of the population and the economy while denting the quality and utility of data, the Statistics Ministry has kicked off parleys to get high-income groups to open up for its surveys.

"When these groups choose not to respond, we are left guessing, and guessing does not exactly lead to a good policy," Geeta Singh Rathore, director general of the National Sample Survey Office (NSSO) said at an interaction with urban resident welfare associations (RWAs) on Friday.

Pointing to an alarming spike in non-response rates from affluent households to NSS surveys in recent years, Deputy Director General of the National Statistical Office's Survey Design and Research Division, Amitava Saha said many people blatantly refuse to share information or allow enumerators' entry into their complexes.

Tamil Nadu Real Estate Regulatory Authority (TNRERA) chairman Shiv Das Meena said it is a real challenge to elicit responses from the "so-called upper echelons of society". He pointed to the irony that these sections were most critical about policies on social media, but were reluctant to share data to help frame policies, or even go out and vote.

समस्या क्या है?

- डेटा संग्रह की चुनौतियाँ: गेटेड समुदायों में उच्च आय वाले समूह राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) द्वारा किए जाने वाले आधिकारिक सर्वेक्षणों में भाग लेने से इनकार कर रहे हैं, जिससे डेटा में महत्वपूर्ण अंतर पैदा हो रहा है।
- प्रितिनिधित्व में असमानता: समृद्ध परिवारों से गैर-प्रितिक्रिया सर्वेक्षण नमूनों में सामाजिक-आर्थिक प्रितिनिधित्व को विकृत करती है, जिससे जनसंख्या और अर्थव्यवस्था की समग्र समझ विकृत होती है।
- नीति पर प्रभाव: अधिकारी चिंता व्यक्त करते हैं कि गैर-प्रतिक्रियाकर्ताओं के डेटा का अनुमान लगाना प्रभावी नीति निर्माण को कमजोर करता है, क्योंकि सूचित निर्णयों के लिए सटीक डेटा आवश्यक है।
- बढ़ती गैर-प्रतिक्रिया दरें: समृद्ध पिरवारों के बीच गैर-प्रतिक्रिया दरों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसमें कई लोग खुले तौर पर जानकारी साझा करने या गणनाकर्ताओं को अपने घरों में प्रवेश करने की अनुमित देने से इनकार कर रहे हैं।





आलोचना और विडंबना: हालाँिक ये समृद्ध समूह अक्सर सोशल मीडिया पर नीतियों की आलोचना करते हैं, लेकिन आवश्यक डेटा प्रदान करने में उनकी अनिच्छा प्रभावी नीतियों के निर्माण में बाधा डालती है, जिससे सार्वजिनक आलोचना और शासन में सिक्रय भागीदारी के बीच एक वियोग का पता चलता है।

आगे की राह:

- जागरूकता अभियान: प्रभावी नीति निर्माण और संसाधन आवंटन के लिए सर्वेक्षण में भागीदारी के महत्व के बारे में समृद्ध परिवारों को शिक्षित करने के लिए लक्षित जागरूकता अभियान शुरू करें।
- निवासी कल्याण संघों के साथ जुड़ाव: भागीदारी को प्रोत्साहित करने और गेटेड समुदायों के भीतर विश्वास बनाने के लिए निवासी कल्याण संघों के साथ सहयोग करें।
- प्रक्रियाओं को सरल बनाना: सर्वेक्षण प्रक्रिया को कम दखल देने वाला और अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए इसे सुव्यवस्थित करें, जिससे उच्च प्रतिक्रिया दरों को प्रोत्साहित किया जा सके।
- गोपनीयता आश्वासनः व्यक्तिगत जानकारी साझा करने के बारे में चिंताओं को कम करने के लिए डेटा गोपनीयता और निजता पर जोर दें।
- प्रतिक्रिया तंत्र: एक प्रतिक्रिया तंत्र स्थापित करें जहां प्रतिभागी नीतिगत निर्णयों पर अपने योगदान के प्रभाव को देख सकें, जिससे स्वामित्व की भावना को बढावा मिले।
- भागीदारी के लिए प्रोत्साहन: भागीदारी के लिए प्रोत्साहन या पुरस्कार देने पर विचार करें, उदाहरण के लिए उपहार वाउचर या सार्वजिनक सेवाओं तक पहुंच।





Page 13: Prelims Fact

लेबनान में हाल ही में हुए पेजर विस्फोट, जो इज़राइल और हिज़्बुल्लाह के साथ बढ़ते तनाव से जुड़े हैं, ने 2020 के बेरूत बंदरगाह विस्फोट के आघात को फिर से भड़का दिया है।

 महत्वपूर्ण हताहतों और सार्वजिनक भय के साथ, ये घटनाएँ लेबनान की चल रही अस्थिरता और आबादी के मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षा पर पिछले संकटों के संचयी प्रभाव को उजागर करती हैं।



लेबनान में चल रहे संकट के बीच मुख्य मुद्दे:

- अार्थिक पतनः लेबनान एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, जो 2020 के बेरूत बंदरगाह विस्फोट और चल रही वित्तीय अस्थिरता से और भी बढ़ गया है।
- राजनीतिक पक्षाघात: देश दो साल से अधिक समय से बिना किसी कार्यशील सरकार या राष्ट्रपित के है, जिससे शासन संबंधी चुनौतियाँ सामने आ रही हैं।
- सुरक्षा खतरे: नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाकर हाल ही में किए गए हमलों सिहत इज़राइल और हिज़्बुल्लाह के बीच निरंतर शत्रुता,
 भय और अनिश्चितता को बढ़ाती है।
- मानिसक स्वास्थ्य संकटः पिछले विस्फोटों और चल रही हिंसा के कारण आबादी मनोवैज्ञानिक आघात से पीड़ित है, जिसमें कई लोग अत्यधिक चिंता और व्यामोह का अनुभव कर रहे हैं।
- सार्वजिनक सुरक्षा चिंताएँ: उपकरणों से हाल ही में हुए विस्फोटों ने व्यापक भय पैदा किया है, जिससे माता-िपता बच्चों को स्कूलों और समुदायों से दूर रखने के लिए सुरक्षा सावधानी बरतने के लिए प्रेरित हो रहे हैं।
- स्वास्थ्य सेवा तनाव: स्वास्थ्य सेवा प्रणाली संभावित बड़े पैमाने पर संघर्ष के लिए अभिभूत और अप्रस्तुत है, जिससे आपातकालीन प्रतिक्रियाएँ जटिल हो रही हैं।





Exercise In News: Exercise AIKYA

हाल ही में, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने भारतीय सेना की दक्षिणी कमान के साथ मिलकर चेन्नई में आपदा प्रबंधन पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी 'अभ्यास AIKYA' का आयोजन किया।



अभ्यास AIKYA के बारे में:

- 🟓 ऐक्य, जिसका तिमल में अर्थ है "एकता", भारत के आपदा प्रबंधन समुदाय को एकीकृत करने के अभ्यास के उद्देश्य को दर्शाता है।
- 🔷 इसने आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाया।
- इस अभ्यास में छह दक्षिणी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों: तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुडुचेरी ने भाग लिया।
- इसमें शामिल प्रमुख संगठन: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD), राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (NRSC), भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS), केंद्रीय जल आयोग (CWC), और भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI); भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण (GSI) और दूरसंचार विभाग (DoT)।



THE HINDU Daily News Analysis

- इसने भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का परीक्षण करने के लिए आपातकालीन स्थितियों का अनुकरण किया, आपदा राहत में प्रौद्योगिकियों और रुझानों पर चर्चा को बढ़ावा दिया और हाल के अभियानों से सबक की समीक्षा की।
- इसने सुनामी, भूस्खलन, बाढ़, चक्रवात, औद्योगिक घटनाओं और जंगल की आग सिहत मुद्दों को संबोधित किया, जिसमें तिमलनाडु, वायनाड और आंध्र प्रदेश में हाल की घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया।





Page: 06 Editorial Analysis

GS Paper 02 : अंतर्राष्ट्रीय संबंध – द्विपक्षीय संबंध

PYQ: (UPSC CSE (M) GS-1 2016): सिंधु जल संधि का विवरण प्रस्तुत करें तथा बदलते द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में इसके पारिस्थितिक, आर्थिक और राजनीतिक निहितार्थों की जांच करें। (250 words/15m)

UPSC Mains Practice Question भारत-पाकिस्तान संबंधों में सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) के महत्व पर चर्चा करें। जल-बंटवारे को लेकर हाल के विवादों से उत्पन्न चुनौतियों का विश्लेषण करें, विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन और भू-राजनीतिक तनावों के आलोक में। (250 w /15 m)

संदर्भ :

- भारत ने अनसुलझे विवादों और जलवायु परिवर्तन जैसी आधुनिक चुनौतियों का हवाला देते हुए पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) पर फिर से बातचीत करने की अपनी मांग को बढ़ा दिया है।
- यह संधि, जो कभी सहयोग का प्रतीक थी, अब भारत-पाकिस्तान के बिगड़ते संबंधों के बीच अनिश्चितता का सामना कर रही है।

भारत ने सिंधु जल संधि (IWT) पर फिर से बातचीत करने की मांग को बढ़ाया

- भारत ने जनवरी 2023 से पाकिस्तान को अपना चौथा नोटिस जारी किया है, जिसमें 1960 की सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) पर फिर से बातचीत करने की मांग की गई है।
- भारत ने स्थायी सिंधु आयोग (पीआईसी) की सभी बैठकों को तब तक के लिए रद्द कर दिया है, जब तक कि पाकिस्तान बातचीत करने के लिए सहमत नहीं हो जाता।
- यह वर्षों के गतिरोध के बाद हुआ है, भले ही आईडब्ल्यूटी को कभी जल-साझाकरण समझौतों के लिए एक मॉडल माना जाता था।

Staunch the breach

India and Pakistan need to drop hard line stances on the Indus Waters Treaty

n its fourth notice to Pakistan since January 2023, India has escalated its demand for the renegotiation of the 1960 Indus Waters Treaty (IWT), now calling off all meetings of the Permanent Indus Commission (PIC) until Pakistan agrees to sit at the table for talks. India's demand last year followed a logjam in the entire process, once held up internationally as a model template for water-sharing agreements. Even in the new millennium, the tenets of the treaty held firm, and India was able to win two major disputes by adhering to the processes laid out, including the Baglihar Dam project in 2007, and another dispute over allegations that India was interfering with Pakistan's Neelum project in 2013. The issue over how to proceed on dispute resolution for the Kishenganga and Ratle projects has snowballed since 2016, when Pakistan escalated the disputes - having a neutral expert look at them and demanding a Permanent Court of Arbitration (PCA). In a moment of weakness, that it may come to regret, the World Bank - it is a co-signatory and guarantor of the IWT - decided to allow two parallel processes of the dispute mechanism to run at the same time. To make matters worse, Pakistan turned its back on the neutral expert's proceedings, while India has boycotted the PCA hearings at The Hague. Pakistan has been cold to India's notices on renegotiating the treaty and the decision by the Modi government to stop all PIC meetings has put the future of the process in peril. Unlike in past decades, when the IWT was considered off-limits for partisan politics, leaders on both sides are now not above using fiery rhetoric. Mr. Modi's statement after the 2016 Uri attack, that "blood and water" cannot flow together, is perhaps the most egregious example.

It is no coincidence that the spiral mirrors the unravelling of the India-Pakistan bilateral relationship in the same period. There is no political engagement or trade and the 2021 LoC ceasefire agreement is in danger after growing terror attacks and deaths of Indian Army personnel. It may be possible to re-open the treaty talks, but concluding any agreement will be that much more difficult. All eyes are now on New Delhi's response to Pakistan's invitation for the SCO Heads of Government meeting on October 15-16. Such an opening could present an opportunity for talks on the way forward. No doubt, new-age issues such as climate change and the need for renewable energy and hydropower options on the Indus necessitate a re-opening of the 64-year-old Treaty. How that is done, along with resolving current disputes, will decide whether the two countries can save the treaty, once referred to as the "one bright spot" in a "very depressing world picture" by U.S. President Dwight D. Eisenhower.





IWT का ऐतिहासिक महत्व

- 🕩 1960 में हस्ताक्षरित यह संधि भारत और पाकिस्तान के बीच जल संसाधनों के प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण रही है।
- ⇒ यह कई दशकों और विवादों के बावजूद हढ़ रहा, जिसमें भारत द्वारा दो महत्वपूर्ण मामलों में जीत भी शामिल है:
- 2007 में बगलिहार बांध परियोजना विवाद।
- 🏓 2013 में पाकिस्तान की नीलम परियोजना में भारतीय हस्तक्षेप के आरोप।

किशनगंगा और रतले परियोजनाओं पर विवाद

- 🕩 किशनगंगा और रतले परियोजनाओं पर विवाद 2016 से बढ़ गए हैं।
- एक अभूतपूर्व कदम में, विश्व बैंक ने दोनों प्रक्रियाओं को एक साथ चलने की अनुमित दी, जिससे जिटलताएँ पैदा हुईं।
- बाद में पाकिस्तान तटस्थ विशेषज्ञ की कार्यवाही से दूर चला गया, जबिक भारत ने पीसीए की सुनवाई का बहिष्कार किया।

राजनयिक संबंधों में तनाव

- भारत द्वारा संधि पर फिर से बातचीत करने के लिए 2022 का नोटिस पाकिस्तान की ओर से इसमें शामिल न होने के बाद आया, जो मोदी सरकार के तहत और भी बदतर हो गया है।
- यह गितरोध भारत-पािकस्तान संबंधों में व्यापक गिरावट को दर्शाता है, जिसमें कोई राजनीतिक संवाद नहीं होना, व्यापार बंद होना और बढ़ती आतंकी गितविधियों के कारण 2021 नियंत्रण रेखा (एलओसी) संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन शामिल है।
- उरी हमले के बाद भारतीय प्रधानमंत्री के 2016 के बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि "खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते," ने तनाव को और बढ़ा दिया है।

सिंधु जल संधि का भविष्य

- 🟓 दोनों देशों के अपने रुख को सख्त करने के साथ ही IWT का भविष्य अनिश्चित है।
- भारत द्वारा PIC बैठकों को रद्द करने से प्रक्रिया और भी तनावपूर्ण हो गई है।
- अक्टूबर 2024 में आगामी शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शासनाध्यक्षों की बैठक के साथ बातचीत का अवसर है, जहाँ दोनों देश संभावित रूप से फिर से जुड़ सकते हैं।

आधुनिक चुनौतियों के कारण संधि में संशोधन की आवश्यकता है

- जलवायु परिवर्तन और नवीकरणीय ऊर्जा और जलविद्युत की आवश्यकता जैसे नए युग के मुद्दे 64 साल पुरानी संधि पर फिर से विचार करना आवश्यक बनाते हैं।
- वर्तमान विवादों का समाधान और आधुनिक चुनौतियों का समाधान यह निर्धारित करेगा कि भारत और पाकिस्तान सिंधु जल संधि को संरक्षित रख सकते हैं या नहीं, जिसे कभी सहयोग का प्रतीक माना जाता था।